न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

धारा 107 दं0प्र0सं0 — प्रथम पक्ष – अंचल अधिकारी बसिया............।

बनाम

वाद सं0 127/2022 — द्वितीय पक्ष – योगेन्द्र यादव ..... बगैरह।

आदेश की क्र0 सं0 एवं तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
12/5/23	उक्त वाद की कार्रवाई अंचल अधिकारी बसिया का पत्रांक 432/रा0 दिनांक 10/11/2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है **द्वितीय पक्ष** (1)योगेन्द्र यादव पिता स्व0 हरक गोप ग्राम ससिया थाना बसिया के द्वारा जय जगरनाथ महिला मंडल ससिया के राशन उठाव के विरूद्ध पैसा नहीं देता है राशन लेने के बाद मशीन में ठेपा लगान में आनाकानी करता है तथा रंगदारी में जय जगरनाथ महिला मंडल ससिया से 5000/– (पॉच हजार) रू0 की मांग करता है तथा ब्लैक मेल करता रहता है। योगेन्द्र यादव शातिर एवं दबंग किस्म के व्यक्ति है जिसको लेकर हमेषा आपसी विवाद एवं तनाव बना रहता है। फलस्वरूप द्वितीय पक्षो के द्वारा शांति व्यवस्था भंग होने की संम्भावना को लेकर प्रतिवेदित किया गया है। तद्नुसार दं0प्र0सं0 की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षो को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया । उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए :– उक्त वाद की कार्रवाई के दौरान द्वितीय पक्ष के बीच किसी प्रकार से शांति भंग होने संबंधी सूचना थाना प्रभारी बसिया अन्य स्रोत्रो से अप्राप्त है। उक्त वाद की समय अवधि समाप्त हो चुकी हैं। अतः उभय पक्षों के बीच उक्त वाद की कार्रवाई के समय अवधि में किसी प्रकार की शांति भंग नहीं होने की सूचना अप्राप्त होने एवं वाद की कार्रवाई समाप्त होने के कारण उक्त वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। लेखापित । [Stamp: अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)] अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)। Digitally signed by JAIWANTI DEOGAM Date: 2024.08.21 12:26:51 +05:30 Location: 192.168.1.6	